149

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक–सी–3/17/1/3/2010 भोपाल, दिनांक 28 फरवरी, 2011

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषयः– शासकीय सेवक की सेवाकाल में मृत्यु होने पर अनुकम्पा नियुक्ति बावत्.

संदर्भः– इस विभाग का ज्ञाप क्र. सी–3/4/1/3/06, दिनांक 18.08.2008. एवं समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 13 जनवरी 2011

सामान्य प्रशासन विभाग के समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 13 जनवरी 2011 द्वारा दिनांक 13.12.2001 के पश्चात् दिवंगत हुए शासकीय सेवकों के परिवार के पात्रता रखने वाले ऐसे आवेदक जिन्हें 7 वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने के कारण अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा सकी है के प्रकरणों पर कार्यवाही किए जाने हेतु प्रकिया का निर्धारण उक्त परिपत्र के पैरा–2 में किया गया है। कतिपय विभागों द्वारा यह प्रश्न उठाया गया है कि परिपत्र दिनांक 13 जनवरी 2011 के पैरा–2 मे निर्धारित प्रकियां का पालन केवल उन्हीं प्रकरणों में किया जाना है जिनमें प्रकिया में विलंब होने के कारण 7 वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने के कारण अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा सकी है और अब नवीन आवेदन पत्रों पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाना है अथवा अनुकंपा नियुक्ति के सभी प्रकरणों में उपरोक्त परिपत्र में निर्धारित प्रकिया का पालन किया जाना है।

...2...

2/ उपरोक्त के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति के सभी प्रकरणों में परिपत्र दिनांक 13 जनवरी 2011 के पैरा–2 में उल्लेखित प्रकियानुसार कार्यवाही की जाएगी।

3/ सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी–3–4/1/3/06 दिनांक 18 अगस्त 2008 की कंडिका–5.1 में रू. 3500–5200 तक वेतनमान वाले अन्य कार्यपालिक पदों (लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र के पदों को छोड़कर) पर भी अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने का प्रावधान किया गया है। कार्यपालिक पदों पर अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने के संबंध में ज्ञापन दिनांक 18 अगस्त 2008 के पैरा–9 में उल्लेखित प्रकियानुसार अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाएगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अकीला हशमत)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक–सी–3/17/1/3/2010 भोपाल, दिनांक 28 फरवरी, 20‥

प्रतिलिपि :–

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश जबलपुर
2. सचिव, लोकायुक्त, मध्य प्रदेश भोपाल
3. सचिव मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इन्दौर
4. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी मध्य प्रदेश भोपाल
5. राज्यपाल के सचिव, मध्य प्रदेश राजभवन भोपाल
6. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल
7. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्य मंत्री, मुख्य मंत्री सचिवालय, मध्य प्रदेश भोपाल
8. मंत्री/राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक, मध्य प्रदेश भोपाल
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्य प्रदेश भोपाल
10. सचिव, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल
11. अध्यक्ष, व्यवसायिक परीक्षा मण्डल, मध्य प्रदेश भोपाल
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, खण्ड पीठ इन्दौर/ग्वालियर/जबलपुर
13. महालेखाकार, मध्य प्रदेश, ग्वालियर/भोपाल
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल

...3...

14. [illegible] सचिव/[illegible] सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल
15. उप सचिव/अवर सचिव [illegible] स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी म.प्र. मंत्रालय।
16. मुख्य सचिव के [illegible], मंत्रालय, भोपाल
17. आयुक्त जनसम्पर्क [illegible], मध्य प्रदेश भोपाल
18. सचिव, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग निर्वाचन भवन द्वितीय मंजिल भोपाल
19. अध्यक्ष, मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति भोपाल
20. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ भोपाल।

(अकीला हशमत)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग